



संख्या- 16/2022/77-1002(003)/1/2022/001-1349

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनु सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उओप्रओ, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक

अगस्त, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 348,71,75,046/- की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत युवाओं को निशुल्क टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.07.2022 द्वारा यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2022 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार पायलेट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं से अवशेष 5,38,017 उपकरणों की आपूर्ति तथा उक्त पर होने वाले अनुमानित व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-7 के लेखाशीर्षक "2852-80-800-0401" के अन्तर्गत धनराशि रू0 150000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

2- प्रकरण में उओप्रओ डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) के पत्रांक- डी/22-23/1924 दिनांक 10.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 13.07.2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में यूपीडेस्को द्वारा अवशेष टैबलेट पीसी एवं स्मार्टफोन आपूर्तिकर्ता फर्मों को आपूर्ति पूर्ण करने हेतु पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त फर्मों को अवशेष संयंत्रों की आपूर्ति हेतु अधिकतम 2 माह का समय प्रदान किया गया है जिसमें से 3,40,017 डिवाइसेज की आपूर्ति शीघ्र सम्भावित है जिसके भुगतान हेतु निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता है :

Sr No.	Name of Firm	Device Type	Unit Price (incl. GST)	Balance Qty. for Supply in 60 days	Expected Qty. for Supply in Next 15	Amount (Rs.)
--------	--------------	-------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

			(Rs.)		days	
1	M/s Lava International Limited	Tablet PC	12,606	1,20,000	75,000	94,54,50,000
2	M/s Celkon Impex Pvt. Ltd.	Tablet PC	12,606	60,550	60,550	76,32,93,300
3	M/s Lava International Limited	Smartphone	10,740	2,53,000	1,00,000	1,07,40,00,000
4	M/s United Telelinks (Bangalore) Ltd.	Smartphone	10,740	51,837	51,837	55,67,29,380
5	M/s Celkon Impex Pvt. Ltd.	Smartphone	10,740	52,630	52,630	56,52,46,200
	Total			5,38,017	3,40,017	3,90,47,18,880

उक्त के अतिरिक्त टैबलेट/स्मार्टफोन के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के विरुद्ध **RTES Ltd** को इंस्पेक्शन किये गए उपकरणों के मूल्य के 0.1% अर्थात रु. 46,07,568.00 (जी.एस.टी. सहित) के व्यय/भुगतान की देयता होगी।

3- यूपीडेस्को के उक्त पत्र दिनांक 10.08.2022 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 18.07.2022 के प्रस्तर 5(2) के अनुसार पोर्टल के संचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए नोडल एजेंसी को रु. 7.5 करोड़ की धनराशि प्रशासकीय व्यय के मद में तथा योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन, वितरण के लिए जनपद/अन्य विभागों/अन्य संस्थाओं के स्तर के लिए धनराशि रु. 07.5 करोड़ का पृथक से प्राविधान किया गया है। उपरोक्तानुसार यूपीडेस्को द्वारा निम्न तालिका के अनुसार धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है-

क्र.सं.	व्यय/भुगतान का विवरण	धनराशि रु. में
1	टैबलेट/स्मार्ट फोन की आपूर्ति के विरुद्ध व्यय/भुगतान की देयता	390,47,18,880.00
2	टैबलेट/स्मार्ट फोन के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के विरुद्ध RTES Ltd को व्यय/भुगतान की देयता	46,07,568.00
3	पोर्टल के संचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए नोडल एजेंसी को व्यय/भुगतान की देयता	7,50,00,000.00
4	जनपद/अन्य विभागों/अन्य संस्थाओं के स्तर पर योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन तथा वितरण के लिए व्यय/भुगतान की देयता	7,50,00,000.00
	कुल योग (1 से 4)	405,93,26,448.00

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह भी अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट योजनान्तर्गत आहरित धनराशि रु. 1469,83,94,000.00 में से टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजनान्तर्गत उपकरणों के क्रय, पोर्टल के निर्माण एवं संचालन हेतु यूपीडेस्को के प्रशासनिक व्यय तथा विभिन्न विभागों एवं जनपदों के स्तर पर योजना के सुचारु क्रियान्वयन एवं वितरण के सापेक्ष कुल व्यय की गई धनराशि रु. 1412,62,42,598.00 (रूपये चौदह सौ बारह करोड़ बासठ लाख बयालीस हजार पाँच सौ अट्ठानवे मात्र) के व्यय के पश्चात अवशेष धनराशि रु. 57,21,51,402.00 (रूपये सन्तावन करोड़ इक्कीस लाख इक्कावन हजार चार सौ दो मात्र) यूपीडेस्को के पास उपलब्ध है। उपरोक्त अंकित तालिका के विवरण के अनुसार फर्मों द्वारा डिवाइसेस की अनुमानित आपूर्ति 3,40,017 के सापेक्ष अनुमानित व्यय की धनराशि 405,93,26,448.00 में से यूपीडेस्को के पास उपलब्ध धनराशि रु. 57,21,51,402.00 को समायोजित करते हुए शुद्ध धनराशि रु. 348,71,75,046 (रुपए तीन सौ अड़तालिस करोड़ इकहत्तर लाख पचहत्तर हजार छियालीस मात्र) के व्यय /भुगतान की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि रु0 150000.00 लाख में से रु0 348,71,75,046/- (रुपए तीन सौ अड़तालिस करोड़ इकहत्तर लाख पचहत्तर हजार छियालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या -1-417/10-2013-16/94 दिनांक 26.02.2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र 6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का राजकोष से एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। धनराशि का आहरण, वास्तविक रूप से आपूर्ति की गयी सामग्री के सापेक्ष नियमानुसार देय भुगतान के अनुसार ही, राजकोष से किया जायेगा।

8. भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित **Bid Documents** में क्रय सामग्री हेतु उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों, आपूर्ति, टेस्टिंग, डाक्यूमेन्टेशन, वारण्टी आदि एवं अन्य सभी आवश्यक **Terms & Conditions** का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आहरण / भुगतान किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

10. स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत मैनुअल / शासनादेशों / नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,48,71,75,046.00 (रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ इकहत्तर लाख पचहत्तर हजार छियालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000401 टैबलेट / स्मार्ट फोन का वितरण मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या -6-59--2022-23-दिनांक: 30-8-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनु सचिव

संख्या- 16/2022/77-1002(003)/1/2022/001-1349, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि० लखनऊ।
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनु सचिव

<http://shasanadesh.up.gov.in>

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।